



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)  
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:—रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2020-21 / 13

दिनांक:—29/7/2020

## सीमित निविदा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रालसा, जोधपुर में आर्बीट्रेशन एवं मीडिएशन सेन्टर हेतु अति आवश्यकता के मद्देनजर अधिकृत फर्मों से निम्नानुसार सामग्री क्रय हेतु बन्द लिफाफों में सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. स.	सामग्री का नाम	विवरण	मात्रा	दर (लगभग) प्रति नग रु.	अनुमानित व्यय राशि रु.
1.	<b>LED TV Samsung/ Sony</b>	1. 48"-50" Inch Full Smart LED TV for use as large screen training and display monitor (Computer features like browser and internet, wi-fi etc.), HDMI and USB Ports etc. with three year onsite warranty.	02	45,000 / -	90,000 / -
		2. 55" Inch Full Smart LED TV for use in Public Area (Computer features like browser and internet, wi-fi), HDMI and USB Ports etc. with three year onsite warranty.	01	55,000 / -	55,000 / -
2.	<b>Single Door Refrigerator Samsung/ Godrej</b>	Single Door Refrigerator (less than 200 Liter)	01	13,000 / -	13,000 / -
3.	<b>Microwave Oven IFB/ Samsung</b>	Minimum 30 L Convection Cooking complete alarm Timer	01	15,000 / -	15,000 / -
4.	<b>Tea-Coffee Vending Machine (4 Line)</b>	Can make cappucino, espresso and dispense hot water Cup warmer Removable water tank	01	20,000 / -	20,000 / -
<b>कुल योग</b>					<b>1,93,000 / -</b>

निविदा दिनांक 06.08.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को

दोपहर 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

**निविदा की शर्तें:-**

1. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
2. सामग्री उक्तांकित सारणी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय करने की संख्या कम ज्यादा करने का राज्य प्राधिकरण का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
5. सप्लाई संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
6. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर अथवा जोधपुर कार्यालय में कार्यादेश जारी होने के 5 दिवस में सप्लाई करना होगा।
8. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।

  
निदेशक

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2020-21/14+017

दिनांक:- 29/7/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड/राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर, कार्यालय हाजा।
2. AAO कार्यालय हाजा।
3. प्रोग्रामर, पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित पत्रावली।



उप सचिव (स्टोर प्रभारी)